महात्मा गाँधी
चित्रकूट ग्रामोदय
विश्वविद्यालय, चित्रकूट,
सतना (म.प्र.)–४८५३३४

Mahatma Gandhi Chitrakoot
Gramodaya Vishwavidyalaya,
Chitrakoot, Distt- Satna,
(M.P.) - 485334

सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास अध्ययन केन्द्र

पत्राक :सी.एम.सी.एल.डी.पी. / 21 / 1666 दिनांक: 28/12/2021

प्रति,

2139
दिनांक 29/12/2021

कार्यपालक निदेशक

म.प्र. जन अभियान परिषद

भोपाल, म.प्र.

विषय– बी.एस.डब्ल्यू. पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष की प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

म.प्र. शासन के मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यकम के अन्तर्गत मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद के सहयोग से महात्मा गाँधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय द्वारा संचालित समाज कार्य स्नातक (सामुदायिक नेतृत्व एवं सतत विकास) पाठ्यक्रम के संदर्भ में अग्रिम कार्यवाही हेतु पार्श्व में संलग्न दिशा निर्देशों के अनुसार सत्र् 2022–23 में बी.एस.डब्ल्यू. प्रथम वर्ष में प्रवेश प्रक्रिया हेतु कार्यवाही सम्पन्न करने की कृपा करे।

(डॉ. अमरजीत सिंह)
निदेशक, सी.एम.सी.एल.डी.पी. एवं
लिंक अधिकारी, मध्यप्रदेश शासन

प्रतिलिपि:–

1. कुलपति महोदय के निजी सचिव
2. कुल सविच महोदय

28/12/21

(डॉ. अमरजीत सिंह)
निदेशक, सी.एम.सी.एल.डी.पी. एवं
लिंक अधिकारी, मध्यप्रदेश शासन

प्रवेश सूचना एवं दिशा निर्देश

म.प्र. शासन के मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद के सहयोग से महात्मा गाँधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय द्वारा संचालित समाज कार्य स्नातक (सामुदायिक नेतृत्व एवं सतत विकास) पाठ्यक्रम, में प्रवेश हेतु आवेदन आमंत्रित हैं।

पाठ्यक्रम का उद्देश्य

- प्रशिक्षित मानव संसाधन विकसित करना जो विकास गतिविधियों से जुड़े सामाजिक उद्यमियों, सामुदायिक संगठनों के मध्य शासन द्वारा संचालित कल्याणकारी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु सार्थक भूमिका का निर्वहन करेंगे।
- उच्च शिक्षा में सकल नामांकन दर की वृद्धि हेतु वंचित छात्रों को पाठ्यक्रम से जोड़ना।
- वंचित समूहों यथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं तथा गरीबी रेखा से नीचे व ड्राप आउट छात्रों के लिए उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान करना जो नियमित शिक्षा का खर्च वहन नहीं कर सकते हैं।
- सतत विकास लक्ष्यों एवं आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश (ANMP-2023) के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु स्थानीय संसाधन आधारित विकास मॉडल तैयार करने के लिए छात्रों में बौद्धिक क्षमता विकसित करना।

विशेषताएँ

1. नियमित छात्रों के समान अवसर की उपलब्धता
2. अन्य विश्वविद्यालयों से समतुल्यता एवं यू.जी.सी. (डी.ई.बी.) से मान्यता
3. पाठ्यक्रम का संचालन
4. व्यावहारिक अभ्यास कार्य पर विशेष बल

न्यूनतम अर्हता एवं आयु सीमा

किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड/मण्डल/परिषद से 10+2 (इण्टरमीडिएट) परीक्षा उत्तीर्ण। प्रवेश केवल पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में। आयु–सीमा का बंधन नहीं, किन्तु 18 से 45 वर्ष के विद्यार्थियों को प्राथमिकता।

आवेदन करने की विधि

- प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु ऑनलाइन लिंक–
  http://cmcldp.mpjapmis.org/Main/Student/Frm_OnlineStudentReg.aspx
  है। जिस पर 01 जनवरी, 2022 से 30 जनवरी 2022 तक आवेदन कर सकेंगे।
- प्रवेश के लिये जिला समन्वयक अथवा विकासखण्ड समन्वयक म.प्र. जन अभियान परिषद से संपर्क करें, जो इच्छुक अभ्यर्थियों में से निर्धारित संख्या में चयनित अभ्यर्थियों का नाम प्रवेश हेतु जारी करेंगे।
- प्रवेश शुल्क कुल रु.4500/– जमा करना होगा।
- प्रवेश के पश्चात आवंटित पंजीयन कमांक ही अभ्यर्थी का अनुक्रमांक होगा जिसका उल्लेख छात्र द्वारा किसी भी पत्राचार में किया जा सकेगा।

प्रवेश हेतु दिशा निर्देश

1. प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु http://cmcldp.mpjapmis.org/Main/Student/Frm_OnlineStudentReg.aspx है। जिस पर 01 जनवरी, 2022 से 10 जनवरी, 2022 तक 100 रू शुल्क जमा कर अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे।
2. दिनांक 10 जनवरी से 12 जनवरी 2021 के बीच प्राप्त आवेदन पत्रों की विकासखण्डवार 1 से 40 तक की मैरिट सूची या प्रथम सूची तैयार की जायेगी।
3. जिन अभ्यर्थियों के नाम मैरिट सूची में जारी कर दी जायेगी वे रू 4500/- शुल्क जमा कर अपना पंजीयन कर सकेंगे।
4. शेष सभी अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची जारी की जायेगी।
5. प्रथम सूची से प्रवेश न लेने पर रिक्त सीटों के लिए प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थी निर्धारित रू 4500/- शुल्क जमा कर पंजीयन फार्म भर सकते हैं।
6. 50 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी महिलाओं की सीट रिक्त होने पर पुरूष अभियार्थियों को अवसर दिया जा सकेगा।
7. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/EWS के लिए शासन के नियमानुसार सीटें आरक्षित रहेंगी।
8. अतिंम पंजीयन उसी का मान्य किया जायेगा जो मैरिट सूची में सूचीबद्ध पश्चात् निर्धारित शुल्क रू. 4500/- आनलाईन जमाकर हार्डकापी विकासखण्ड समन्वयक से प्रमाणित कराकर विकासखण्ड स्तर पर जमा कर देगें।

अमाली
29/12/21